जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोपालगंज

फोन नं0– 06156–224767
Email-ID:- ddc-gopalganj-bih@nic.in

पत्रांक....................../अभि0
दिनांक............./....../2019

–: आदेश :–

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गोपालगंज सदर ने अपने पत्रांक 1022 दिनांक 05.08.2020 द्वारा श्रीमती पूजा कुमारी, (HRMS ID-106725), ग्रामीण आवास सहायक, पंचायत–कठघरवां, प्रखण्ड–गोपालगंज सदर का अनुबंध रद्द करने की अनुशंसा करते हुए उनपर निम्नलिखित आरोप लगाया गया है :–

1. श्रीमती पूजा कुमारी द्वारा वर्ष 2019 में बरौली प्रखण्ड से गोपालगंज सदर प्रखण्ड में स्थानांतरण होने पर मात्र 04 से 05 दिन कार्य करने के उपरान्त लगभग एक (01) वर्ष से बीमारी के कारण अनुपस्थित रहना।
2. दिनांक 28.05.2020 को प्रखण्ड कार्यालय गोपालगंज सदर में योगदान दिया गया एवं दिनांक 09.06.2020 से लगातार अनाधिकृत रुप से अनुपस्थित रहना।
3. माह जून, 2020 में अनुपस्थित रहने के बावजूद उपस्थिति का टाईमशीट भरा जाना।
4. पुनः माह जुलाई, 2020 में अनुपस्थित रहने के बावजूद टाईमशीट भरा गया, जो ऑटो एप्रूव हो गया।
5. श्रीमती पूजा कुमारी द्वारा बिना सरकारी कार्य किये सरकारी धनराशि (अनाधिकृत मानदेय माह जुलाई, 2020) प्राप्त करना, जो गबन करने का द्योतक है।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गोपालगंज सदर द्वारा श्रीमती पूजा कुमारी, (HRMS ID-106725), ग्रामीण आवास सहायक, पंचायत–कठघरवां, प्रखण्ड–गोपालगंज सदर के विरुद्ध घोर अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं बिना सरकारी कार्य किये सरकारी राशि का गबन करने का आरोप लगाते हुए संविदा रद्द करने का अनुशंसा किया गया है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गोपालगंज सदर द्वारा श्रीमती पूजा कुमारी के अनाधिकृत रुप से प्राप्त की गयी माह जुलाई, 2020 के मानदेय की धनराशि प्रखण्ड कार्यालय में पॉच (05) दिनों के अन्दर जमा करने का निदेश दिया गया है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट परिलक्षित होता है कि श्रीमती पूजा कुमारी, (HRMS ID-106725), ग्रामीण आवास सहायक, पंचायत–कठघरवां, प्रखण्ड–गोपालगंज सदर अपने कार्यक्षेत्र से लगातार अनाधिकृत रुप से अनुपस्थित रही है एवं बिना कार्य किये माह जून, 2020 एवं जुलाई, 2020 का टाईमशीट इनके द्वारा भरा गया, जिसमें से माह जुलाई, 2020 का मानदेय ऑटो एप्रूव भी हो गया, जो श्रीमती कुमारी के घोर अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता, कर्तब्यहीनता का द्योतक है। बिना सरकारी कार्य किये सरकारी राशि (मानदेय माह जुलाई, 2020) प्राप्त करना गबन की श्रेणी में आता है।

अतः प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गोपालगंज सदर द्वारा उपरोक्त वर्णित आरोपों, कार्रवाई की अनुशंसा एवं अपने वरीय पदाधिकारी के आदेश का अवहेलना करने, बिना कार्य किये टाईमशीट भरने, अनाधिकृत मानदेय की राशि (माह जुलाई, 2020) प्राप्त करने तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के साथ किये गये एकरारनामा की कंडिका संख्या–10 के प्रावधान "The employer may terminate this contract without giving any notice in the event of 7 or more days of continuous unauthorized absence of the 2nd party." का उल्लंघन

करने के आरोप में श्रीमती पूजा कुमारी, (HRMS ID-106725), ग्रामीण आवास सहायक, पंचायत–कठघरवां, प्रखण्ड–गोपालगंज सदर का अनुबंध अनाधिकृत रुप (दिनांक 09.06.2020) से अनुपस्थित रहने की तिथि से रद्द करते हुए उन्हें चयन मुक्त किया जाता है। यदि वे चाहें तो रद्द आदेश के विरुद्ध अपील जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के समक्ष अनुबंध रद्द आदेश पारित किये जाने की तिथि के तीन माह के अन्दर कर सकती हैं।

ह० –

(राज्जन आर0)
उप विकास आयुक्त,
गोपालगंज।

ज्ञापांक 781 / दिनांक 20.8.2020 /

प्रतिलिपि :– श्रीमती पूजा कुमारी, (HRMS ID-106725), ग्रामीण आवास सहायक, पंचायत–कठघरवां, प्रखण्ड–गोपालगंज सदर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि अनाधिकृत रुप से प्राप्त की गई माह जुलाई, 2020 के मानदेय की धनराशि पॉच (05) दिनों के अन्दर प्रखण्ड कार्यालय, गोपालगंज सदर में जमा करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जिला–गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गोपालगंज सदर को निदेश दिया जाता है कि श्रीमती पूजा कुमारी, (HRMS ID-106725), ग्रामीण आवास सहायक, पंचायत–कठघरवां, प्रखण्ड–गोपालगंज सदर द्वारा पॉच (05) दिनों के अन्दर अनाधिकृत मानदेय (माह जुलाई 2020) की धनराशि प्रखण्ड कार्यालय में जमा नहीं करायी जाती है तो श्रीमती कुमारी के विरुद्ध निलाम पत्र वाद (*Certificate Proceeding*) की कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही उक्त पत्र का तामिला संबंधित कर्मी को अपने स्तर से कराते हुए प्रतिवेदन प्रेषित करें तथा उनसे संबंधित प्रभार यथा–मोबाईल, अभिलेख / संचिका, पंजी आदि प्रभार प्राप्त कर सूचना से अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि अपने स्तर से सभी प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया को सूचित करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, गोपालगंज को जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज / हथुआ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई0टी0 डायरेक्टर, बी0आर0डी0एस0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी उप विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(सज्जन आर0)
उप विकास आयुक्त,
गोपालगंज।